न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 535/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. गुरलाल सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. मनदीप कौर पत्नी गुरलाल सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. गुरसीमरनदीप सिंह पुत्र गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

वादीगण

बनाम्

1. अजायब सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरदत्त सिंह पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी नारायणगढ 25 पीटीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. प्रमजीत कौर पत्नी समिन्द्रजीत सिंह पुत्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी मुरादवाला दल सिंह तहसील मुरादवाला दल सिंह जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कपिल गोदारा वकील वादी
2— श्री प्रवीण बेरड़ — वकील प्रति सं. 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :— 27.11.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी स. 1 वादी स. 01 का पिता, वादी स. 02 का ससुर व वादी स. 03 का दादा है। प्रतिवादी स. 2 व 3 प्रतिवादी स. 01 कि सगी बहिन है। प्रतिवादी स. 01 के नाम से चक नं. 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 158/64 जं.सं. 2070–2073 खाता अजायब सिंह वगैरा के नाम से कुल 7.511 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं जिसमें प्रतिवादी स. 01 के नाम से 2984/7511 हिस्सा यानि 2.984 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व चक नं. 12 ए.एम.पी. के खाता सं. 31/83 जं.सं. 2071–2074 खाता अजायब सिंह वगैरा के नाम से कुल 2.783 हैक्ट. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं जिसमें प्रतिवादी स. 01 के नाम से 696/2783 हिस्सा यानि 0.696 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार कुल 3.68 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो प्रतिवादी स. 1 को विरासतन अपने पिता से प्राप्त कृषि भूमि है। उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न वादपत्र हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भुमि का अच्छी–मंदी अनुसार विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद नहीं हैं किन्तु रकबा में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को सीव वट व रकम राज. ऋण आदि को लेकर विवाद बना रहता है। मुताबिक विभाजनः वादी स. 01 को चक नं. 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 158/64 जं.सं. 2070–2073 में 1.265 है. वादी स. 02 को चक नं. 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 158/64 जं.सं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

2070–2073 में 0.454 है. व वादी स. 03 को चक नं. 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 158/64 जं. सं. 2070–2073 में 1.265 है. नहरी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। मुताबिक विभाजन वादीगण को अपना खाता घोषणा करवाने का अधिकार व दावेदार है। वादीगण उक्त विभाजन अनुसार काफी लम्बे से अपनी कृषि भूमि काश्त करते आ रहा हैं वादीगण ने समय समय पर उक्त कृषि भूमि में काफी सुधार किये हैं। वादीगण निर्विवादित उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहा हैं। वादीगण उक्त खाता अपने नाम से घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदर हैं। प्रतिवादी स. 2 व 3 वादीगण कि बहिन / ननद/बुआ है जिन्होने घःविभाजन अनुसार अपने हिस्से का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं 4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र बाबत घोषणा का है जो 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन हैं कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि वादी का खाता वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण को काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी स. 01 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी गुरसीमरनदीप सिहं का शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, वकील वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 11 एएमपी खाता सं. 158/64 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 12 एएमपी खाता सं. 31/83 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, चक 11 एएमपी खाता सं. 30/28 जमाबन्दी सम्वत 2042 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 11 एएमपी खाता सं. 158/64 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 12 एएमपी खाता सं. 31/83 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में वादग्रस्त कृषि भूमि अजायब सिह पुत्र हरीसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी स. 1 वादी स. 01 का पिता, वादी स. 02 का ससुर व वादी स. 03 का दादा है तथा प्रतिवादी स. 2 व 3 प्रतिवादी स. 01 कि सगी बहिन है। चक 11 एएमपी खाता सं. 158/64 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, चक 12 एएमपी खाता सं. 31/83 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है। प्रतिवादी 1 ता 3 ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जाकर वाद पत्र को स्वीकार किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। वादी एवं प्रतिवादी ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद घादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 अजायब सिह अपनी पुत्र वधु वादी सख्या 2 मनदीप कौर के पक्ष में भी हिस्सा छोड़ रहा है। लेकिन यह कार्यवाही पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए की गई है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया को वादी संख्या 2 के पक्ष में हुए हिस्से के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष निम्नानुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिघादी संख्या 2 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर चक 11 एएमपी खाता सं. 158/64 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 गुरलाल सिह को 1.265 है. व वादी संख्या 2 मनदीप कौर को 0.454 है. एवं वादी संख्या 3 गुरसिमरनदीप सिह को 1.265 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया